महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 64वीं बैठक

दिनांक

31 अगस्त, 2020

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 64वीं विशेष बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 64वीं विशेष बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2020 को मध्यान्ह् 12.15 बजे बृहस्पति भवन स्थित उपनिषद् मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

1.	प्रो. आर.पी.सिंह, (तत्कालीन) कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. मनोज कुमार, संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन	सदस्य
3.	प्रो. सुब्रतो दत्ता, विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स	सदस्य
4.	प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन	सदस्य
5.	प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण	सदस्य
6.	प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र	सदस्य
7.	प्रो. शिव दयाल सिंह, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान एवं विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र	सदस्य
8.	प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस	सदस्य
9.	प्रो. आशीष भट्नागर, विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान	सदस्य
10.	प्रो. प्रवीण माथुर, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान	सदस्य
11.	प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष-वनस्पतिशास्त्र सदस्य	
12.	प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र	सदस्य
13.	प्रो. नगेन्द्र सिंह, संकायाध्यक्ष-शिक्षा, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर	सदस्य
14.	डॉ. मुन्ना लाल अग्रवाल, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय	सदस्य
15.	डॉ. विभा शर्मा, संकायाध्यक्ष-विधि संकाय	सदस्य
16.	डॉ. सिस्टर पर्ल, प्राचार्य सोफिया कॉलेज, अजमेर	सदस्य
17.	मोहम्मद इदरिश खान, प्राचार्य, स्टार इन्फोटेक कॉलेज, देवली जिला-टौंक	सदस्य
18.	प्रो. रवि सक्सैना, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	सदस्य
19.	कुलसचिव (तत्कालीन)	सदस्य-सचिव

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुएः-</u>

1.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।	सदस्य
2.	आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।	सदस्य
3.	प्रो. बी.एल. वर्मा, विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महा. उदयपुर ।	सदस्य
4.	डॉ. गीतान्जलि वर्मा, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय	सदस्य

नोटः- यह कार्यवृत्त विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 के मद संख्या 06 में संशोधित हुआ है । अतः इसके साथ पढ़ा जावे ।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया । तत्पश्चात् कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं. 01	राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित करने की क्रियान्विती बाबत् विचार-विमर्श करना ।	**परीक्षा नियंत्रक**
निर्णय	**कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की सत्र 2019-20 की परीक्षाएं स्थगित की गयी थी, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार सम्पन्न कराये जाने हेतु "परिशिष्ठ-अ" के अनुसार निर्णय लिये जाकर तद्नुसार राज्य सरकार को अनुशंषाएं भिजवाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 02	मास कम्यूनिकेशन एवं मल्टी मीडिया सेंटर में श्रमजीवी व्यक्तियों के प्रवेश संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण ।	**शैक्षणिक-II/ शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया ।**	
मद सं. 03	विश्वविद्यालय ध्वज के निर्माण संबंधी प्रक्रिया ।	**सामान्य प्रशासन**
निर्णय	**विश्वविद्यालय के ध्वज निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निम्नलिखित समिति के गठन का निर्णय लिया गया:-** **1. प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष-कम्प्यूटर साईंस विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर । -संयोजक** **2. प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष- वनस्पतिशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर । -सदस्य** **3. डॉ. गीता शर्मा, राज. महाविद्यालय, किशनगढ़ -सदस्य** **समिति अपनी अनुशंषाएं आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी ।**	
मद सं. 04	बी.फार्मा एवं डी.फार्मा में प्रवेश आवेदन की प्रक्रिया बाबत् ।	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया ।	

नोटः- यह कार्यवृत्त विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 के मद संख्या 06 में संशोधित हुआ है । अतः इनके साथ पढ़ा जावे ।

मद सं. 05	विद्या परिषद् की दिनांक 17.07.2020 को सम्पन्न हुई 63वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (62) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2020/18498-18519 दिनांक 31.08.2020 को प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**कार्यवृत्त की निम्नलिखित प्रेक्षण के साथ पुष्टि की गयीः-** **1. मद संख्या 04 को निम्नानुसार पढ़ा जावेंः-** **निम्नलिखित विषयों के अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों के द्वारा सत्र 2020-21 हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर सी.बी.सी.एस. एवं आनन्दम पाठ्यक्रम का समावेश करते हुए समस्त विषयों के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु की गयी अनुशंषाओं का अनुमोदन करने पर विचार कर निर्णय करनाः- (कार्यसूची का परिशिष्ठ- 03 से 47)**	

S.No.	Name of BOS/COC	Date of Meeting
1	B.O.S. in Sanskrit	12-06-2020
2	B.O.S. in Hindi	15-06-2020
3	B.O.S. in Urdu, Persian & Arabic	18-06-2020
4	B.O.S. in English	24-06-2020
5	B.O.S. in Drawing & Painting	26-06-2020
6	B.O.S. in Music	20-06-2020
7	B.O.S. in History	10-06-2020
8	B.O.S. in Sociology	09-06-2020
9	B.O.S. in Economics	27-06-2020
10	B.O.S. in Public Administration	20-06-2020
11	B.O.S. in Political Science	10-06-2020
12	B.O.S. in Geography	12-06-2020
13	B.O.S. in Physics	15-06-2020
14	B.O.S. in Chemistry	19-06-2020
15	B.O.S. in Botany	18-06-2020
16	B.O.S. in Zoology	16-06-2020

नोटः- यह कार्यवृत्त विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 के मद संख्या 06 में संशोधित हुआ है । अतः इनके साथ पढ़ा जावे ।

	17	B.O.S. in Maths	20-06-2020		
	18	B.O.S. in Home Science	20-06-2020		
	19	B.O.S. in Food Science & Nutrition	15-06-2020		
	20	B.O.S. in A .B.S.T.	24-06-2020		
	21	B.O.S. in Business Administration	24-06-2020		
	22	B.O.S. in EA& FM	24-06-2020		
	23	B.O.S. in Management Studies	18-06-2020		
	24	B.O.S. in Law	12-06-2020 & 06-07-2020		
	25	B.O.S. in Computer Science & I.T.	17-06-2020		
	26	C.O.C. in Sindhi	08-06-2020		
	27	C.O.C. in Rajasthani	12-06-2020		
	28	C.O.C. in Philosophy	19-06-2020		
	29	C.O.C. in Psychology	22-06-2020 & 25-06-2020		
	30	C.O.C. in Population Studies	16-06-2020		
	31	C.O.C. in Jeevan Vigyan and Jain Darshan	22-06-2020		
	32	C.O.C. in Applied Chemistry	20-06-2020		
	33	C.O.C. in Geology	22-06-2020		
	34	C.O.C. in Remote Sensing & GEO Informatics	12-06-2020		
	35	C.O.C. in Micro Biology	08-06-2020		
	36	C.O.C. in Biotechnology	08-06-2020		
	37	C.O.C. in Entrepreneurship	18-06-2020		
	38	C.O.C in Education	27-06-2020		
	39	C.O.C. in Physical Education	20-06-2020		
	40	C.O.C. in Yoga & Human Consciousness	06-06-2020		

नोटः- यह कार्यवृत्त विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 के मद संख्या 06 में संशोधित हुआ है । अतः इनके साथ पढ़ा जावे ।

41	C.O.C. in Journalism and Mass Communication	17-06-2020
42	C.O.C. in Computer Application	19-06-2020
43	C.O.C. in Environmental Science	08-06-2020
44	C.O.C. in Library & Information Science	05-06-2020

मद सं0 6	संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान एवं संकायाध्यक्ष-कला संकाय का पद रिक्त होने तथा डॉ. गीतान्जलि वर्मा, संकायाध्यक्ष- ललित कला संकाय के द्वारा इस पद पर कार्य करने में असमर्थता जताने एवं त्याग-पत्र दिये जाने के कारण संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय का पद रिक्त हो गया है । प्रकरण संख्या एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 14054/2014 प्रो. सर्वेश पालरिया बनाम महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के दिनांक 30.01.2016 के आदेशों की अनुपालना एवं विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानान्तर्गत संकायाध्यक्षों की नियुक्ति माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रखते हुए विद्या परिषद् की सिफारिश पर की जानी है । अतः विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के परिनियम 2 (2) के प्रावधानों के तहत संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान संकाय, संकायाध्यक्ष- कला संकाय एवं संकायाध्यक्ष- ललित कला संकाय नियुक्ति किये जाने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**संकायाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु प्रो. शिव प्रसाद संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय ने प्रो. शिव दयाल सिंह को संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान, डॉ. संजना शर्मा को संकायाध्यक्ष-कला संकाय तथा डॉ. गीता शर्मा को संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय बनाये जाने का प्रस्ताव किया । प्रस्ताव पर माननीय कुलपति महोदय ने उपस्थित समस्त सदस्यों को अपनी सहमति अथवा असहमति से अवगत कराने हेतु कहा । बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की गयी । अतः उपस्थित सदस्यों की सहमति के आधार पर दो वर्ष तक के लिए निम्नानुसार संकायाध्यक्षों को नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गयाः-** 1 संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय प्रो. शिव दयाल सिंह	

नोटः- यह कार्यवृत्त विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 के मद संख्या 06 में संशोधित हुआ है । अतः इनके साथ पढ़ा जावे ।

	2 संकायाध्यक्ष, कला संकाय डॉ. संजना शर्मा 3 संकायाध्यक्ष, ललित कला संकाय डॉ. गीता शर्मा	
मद सं0 7	बायो-टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 29.08.2020 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
मद सं0 8	COVID-19 Pandemic एवं पश्चातवर्ती लॉक डाउन के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 27.04.2020 को जारी UGC Guidelines on Examinations and Academic Calendar for the Universities in View of COVID-19 Pandemic and Subsequent Lockdown के तहत कोरोना महामारी अवधि के निर्धारण पर विचार एवं निर्णय । **स्पष्टीकरण:** कार्यालय आदेश एफ-15/शोध/मदसविवि/7135 दिनांक 26.05.2020 के द्वारा विश्वविद्यालय में UGC Guidelines on Examinations and Academic Calendar for the Universities in View of COVID-19 Pandemic and Subsequent Lockdown के तहत बिन्दु संख्या 13 को अंगीकृत एवं प्रवृत्त किया गया है। उक्त दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 13 के तहत ऐसे एम.फिल. एवं पीएच.डी. पाठयक्रमों में अध्ययनरत छात्रों जिनकी विश्वविद्यालय ततसम्बन्धी अध्यादेशों के अन्तर्गत एम.फिल. लघु शोध प्रबंध/पीएच.डी. शोध प्रबंध जमा कराने की अधिकतम निर्धारित अवधि कोरोना महामारी की अवधि में समाप्त हो गई अथवा समाप्त होने जा रही है, को नियमित निर्धारित अवधि की समाप्ति के 6 माह में लघु शोध प्रबंध/शोध ग्रंथ लम्बित औपचारिकताओं की पूर्ति सहित जमा कराने की अनुमति प्रदान की गई है। 6 माह का अवधि विस्तार ऐसे छात्रों जिनके द्वारा लघु शोध प्रबंध/शोध ग्रंथ अब जमा किया जाना है उनको भी 6 माह का अवधि विस्तार प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश अंकित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त दिशा निर्देशों में कोरोना महामारी की अवधि के प्रारम्भ होने की तिथि से कोरोना महामारी की अवधि की समाप्ति के सम्बंध में कोई स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित नही है। जिसके कारण 6 माह की अवधि विस्तार की छूट के लागू होने की तिथि विनिश्चित करने एवं उक्त 6 माह का अवधि विस्तार किस तिथि तक प्रभावी रहेगा, स्पष्ट नही है।	शोध

नोट:- यह कार्यवृत्त विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 के मद संख्या 06 में संशोधित हुआ है । अतः इनके साथ पढ़ा जावे ।

	अतः निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैः- 1. कोरोना माहमारी अवधि के प्रारम्भ होने की तिथि से अवधि समाप्ति तिथि का निर्धारण । 2. उपरोक्तानुसार निर्धारित कोरोना महामारी अवधि में ऐसे छात्र जिनकी एम.फिल. लघु शोध प्रबंध/पीएच.डी. शोध ग्रंथ जमा कराने की नियमित अधिकतम निर्धारित अवधि समाप्त हो रही है, को ऐसी अवधि समाप्ति की तिथि से पूरे 6 माह का अवधि विस्तार दिये जाने अथवा शोध ग्रंथ जमा कराने की अधिकतम निर्धारित अवधि की समाप्ति की तिथि से कोरोना महामारी अवधि समाप्ति की तिथि की शेष अवधि के लिये अधिकतम 6 माह का अवधि विस्तार प्रदान किया जाना है। 3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त दिशा निर्देशों में ऐसे छात्र जिनके द्वारा लघु शोध प्रबंध/शोध ग्रंथ को जमा कराया जाना शेष है, को भी 6 माह का अवधि विस्तार दिये जाने पर विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः ऐसे एम.फिल./पीएच.डी. छात्रों को जिनकी निर्धारित अधिकतम अवधि कोरोना महामारी अवधि में समाप्त नही हुई है एवं जिनके द्वारा लघु शोध प्रबंध/शोध ग्रंथ जमा कराया जाना शेष है, को भी उक्त दिशा निर्देशों के तहत 6 माह का अवधि विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।	
निर्णय	**विचार-विमर्श कर एम.फिल. लघु शोध प्रबन्ध/पी.एचडी. शोध प्रबन्ध जमा कराने की नियमित निर्धारित अवधि की समाप्ति के कारण दिनांक 07.04.2021 से 06 माह का अतिरिक्त समय देते हुए लघु शोध प्रबन्ध/शोध ग्रंथ को लम्बित औपचारिकताओं की पूर्ति सहित जमा कराने की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं0 9	विद्या परिषद् की 63वीं बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2020 की अनुशंषा संख्या 04 की अनुपालना में सी.बी.सी.एस. एवं आनन्दम पाठ्यक्रम की परीक्षा स्कीम तथा शैक्षिक योजना सभी संकायों में एक समान हो, के लिए गठित संकायाध्यक्ष समिति की बैठक दिनांक 30.07.2020 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	उक्त कार्यवृत्त की निम्नलिखित संशोधनों के साथ पुष्टि की गयीः-	

नोटः- यह कार्यवृत्त विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 के मद संख्या 06 में संशोधित हुआ है । अतः इनके साथ पढ़ा जावे ।

	1. वर्कशॉप शैक्षणिक कार्यभार (Teaching workload) का हिस्सा नहीं होगा ।	
मद सं0 10	नई शिक्षा नीति-2020 के संबंध में राजस्थान राज्य के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय से सुझाव एवं अभिमत मांगे जाने के संबंध में शुचि शर्मा, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 3 (5)/शिक्षा-4/2020 दिनांक 17.08.2020 पत्र पर विचार कर निर्णय करना ।	
निर्णय	**नई शिक्षा नीति-2020 पर विश्वविद्यालय के सुझाव एवं अभिमत तैयार करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:-** 1. प्रो. नगेन्द्र सिंह — संयोजक 2. प्रो. शिव प्रसाद — सदस्य 3. डॉ. एम.एल. अग्रवाल — सदस्य	
मद 11	State Government to trigger the Start-up movement in the State of Rajasthan के तहत विश्वविद्यालय में गठित की जाने वाली Innovation & Start-up Council (ISC) में विद्या परिषद् द्वारा दो संकाय सदस्य (दो वर्ष कार्यकाल) के मनोनयन किए जाने हेतु ।	विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र
निर्णय	**प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निम्नलिखित संकाय सदस्यों का दो वर्ष हेतु मनोनयन किया गया:-** 1. प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष-कम्प्यूटर साईंस विभाग 2. प्रो. शिव प्रसाद, विभागाध्यक्ष- प्रबन्ध अध्ययन विभाग	
	उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय भी लिये गये:- 1. शोध प्रवेश परीक्ष नियमित समय पर नहीं हो पाने के कारण कितने ही राष्ट्रीय पात्रता/छात्रवृत्ति परीक्षाएं उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी शोध हेतु प्रवेश/ पंजीकरण से वंचित रह जाते है, जिसके चलते उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति/शोधवृत्ति से भी वह वंचित रह जाते है । दूसरी और विश्वविद्यालय भी ऐसे मेधावी शोधार्थियों की शोध प्रतिभा का लाभ नहीं ले पा रहे है । चूंकि यह अभ्यर्थी शोध प्रवेश परीक्षा से भी छूट प्राप्त होते है । अतः शोध पर्यवेक्षक के पास	शोध

नोटः- यह कार्यवृत्त विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 के मद संख्या 06 में संशोधित हुआ है । अतः इनके साथ पढ़ा जावे ।

	उपलब्ध रिक्त स्थानों पर ऐसे अभ्यर्थियों को अध्यादेश के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए इन छात्रों को वर्ष पर्यन्त शोध प्रवेश/पंजीकरण की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया ।	
	2. शोध गुणवत्ता नियंत्रण में अच्छे प्रदर्शन के लिए सराहना करते हुए संयोजक डॉ. अश्विनी तिवारी को प्रमाण-पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया ।	शोध
	3. विश्वविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में पूर्व में स्वीकृत 50 सीटों के अतिरिक्त 50 सीटों की स्वीकृति हेतु एन.सी.टी.ई. से स्वीकृति प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।	बी.एड. विभाग

नोटः- यह कार्यवृत्त विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 के मद संख्या 06 में संशोधित हुआ है । अतः इसके साथ पढ़ा जावे ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति

16/7/21
कुलसचिव

नोटः- यह कार्यवृत्त विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07.04.2021 के मद संख्या 06 में संशोधित हुआ है । अतः इनके साथ पढ़ा जावे ।

परिशिष्ट - 'अ'
मद संख्या - 01

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद की 64वीं बैठक दिनांक 31.08.2020 में सत्र 2019–20 हेतु परीक्षा आयोजन से संबंधित

कोविड–19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 की परीक्षायें स्थगित की गयी थी जिन्हें यूजीसी अथवा राज्य सरकार के निर्देशानुसार सम्पन्न कराया जाएगा, इस हेतु निम्नलिखित निर्णयों पर विचार हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद की अनुशंषायें :–

1. बीए / बीएससी / बीकॉम / बीसीए प्रथम वर्ष के छात्रों को अस्थायी रूप से द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत करने तथा उनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र दिया जाना। साथ ही इन छात्रों को द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष की अंकतालिका, अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ जारी किया जाना प्रस्तावित है।

2. बीए / बीएससी / बीकॉम / बीसीए द्वितीय वर्ष के छात्रों को अस्थायी रूप से तृतीय वर्ष में प्रोन्नत करने तथा उनको द्वितीय वर्ष का प्रमाण पत्र दिया जाना। प्रथम वर्ष तथा तृतीय वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर द्वितीय वर्ष की अंकतालिका जारी करते हुए एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिका जारी किया जाना प्रस्तावित है।

3. बीए / बीएससी / बीकॉम / बीसीए तृतीय वर्ष की परीक्षाओं का सितम्बर माह में आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है।

4. बी.ए. वर्ष 2020 में अतिरिक्त विषय (एडीशनल) के छात्रों को वर्ष 2021 की आगामी सत्र की परीक्षा में परीक्षा शुल्क से मुक्त करते हुए अवसर प्रदान करना प्रस्तावित है।

5. बीए / बीएससी / बीकॉम ऑनर्स के प्रथम वर्ष के छात्रों को अस्थायी रूप से द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत करने तथा उनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र दिया जाना। साथ ही इन छात्रों को द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष की अंकतालिका, अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ जारी किया जाना प्रस्तावित है।

6. बीए / बीएससी / बीकॉम ऑनर्स द्वितीय वर्ष के छात्रों को अस्थायी रूप से तृतीय वर्ष में प्रोन्नत करने तथा उनको द्वितीय वर्ष का प्रमाण पत्र दिया जाना। प्रथम वर्ष तथा तृतीय वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर द्वितीय वर्ष की अंकतालिका जारी करते हुए एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिका जारी किया जाना प्रस्तावित है।

7. बीए / बीएससी / बीकॉम ऑनर्स तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षायें सितम्बर माह में आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है।

8. एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों की परीक्षायें स्थिति सामान्य होने पर आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है।

9. एमए/एमकॉम के पूर्वार्द्ध के छात्रों को उत्तरार्द्ध कक्षाओं में प्रोन्नत एवं प्रमाण पत्र जारी करना अंतिम वर्ष के अंकों के आधार पर अंतिम वर्ष की अंकतालिका के साथ ही पूर्वार्द्ध की अंकतालिका जारी किया जाना प्रस्तावित है।

10. एमए/एमकॉम के अंतिम वर्ष उत्तरार्द्ध की परीक्षायें सितम्बर माह में आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है।

11. इंटीग्रेटेड बीए बीएड/बीएससी बीएड/बीएड(सभी)/एमएड के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को तृतीय वर्ष में तथा तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को चतुर्थ वर्ष में प्रोन्नत तथा प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया जाना तथा अंतिम वर्ष की परीक्षा माह अक्टूबर 2020 में एनसीटीई एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

12. एमएड के अंतिम वर्ष की परीक्षायें सितम्बर माह में आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है।

13. रीजनल इंस्ट्टीटयूड ऑफ एज्यूकेशन द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में इंटीग्रेटेड बीए बीएड/बीएससी बीएड/बीएड(सभी)/एमएड के अंतिम वर्ष की परीक्षायें अक्टूबर माह में आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है।

14. बिन्दु सं.13 में उल्लेखित पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षायें अक्टूबर माह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

15. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेशानुसार एलएलबी/डीएलएल पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को इस शर्त के साथ प्रोन्नत किया जाना प्रस्तावित है कि उनके द्वारा आगामी सत्रों में परीक्षायें उत्तीर्ण पश्चात् अंकतालिकायें प्रदान की जायेगी।

यदि कोई छात्र उक्त परीक्षायें उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उनकी प्रोन्नति स्वत: ही निरस्त मानी जावे। विधि पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षायें स्थितियाँ सामान्य होने पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है।

एलएलएम पार्ट–II की परीक्षायें अक्टूबर माह में आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है।

16. एमएससी तथा MBA, BBA, BPEd., MJMC, MSW, MA Population II, IV or VI सैमेस्टर की परीक्षाओं की परीक्षायें स्थितियाँ सामान्य होने पर ऑनलाईन राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाईन MCQ आधार पर आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है।

कोविड–19 महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 की सैमेस्टर II, IV or VI की परीक्षायें ऑनलाईन MCQ आधार पर निम्नानुसार कराया जाना प्रस्तावित है :–

1- Complete the examination the mode of examination be altered as a special case for session 2019-20 on the following lines :
   (a) The theory papers examination & evaluation shall be conducted using online of MDS University, Ajmer wherein students shall appear for the examination from their residence.
   (b) The duration of written examination shall be limited to 1 hour looking into the problems of continuous (non-stop) internet connectivity specially in the rural areas students.
   (c) The Question paper shall comprise 50 Multiple Choice Question (MCQ) of concerned subject. The marks shall be equality divided across all the questions.
   (d) The setting of the question paper and answer key be paid to the paper setter @ Rs.100/- per question with answer (no.of question X100/-) while evaluation shall be made online by the MDSU on the basis of answer key provided by paper setter.
2- Similarly the practical examination shall be conducted by the board of examiners at the department laboratory through online media. The concerned lab technician in-charge will connect the student using e-media to verify candidate's attendance at the time of examinations.
   The examiners shall be at liberty to conduct lab exam by way of viva-voce and/or question as well as video chat to access the student's practical knowledge. Student will not be asked to perform a physical experiment. The TA/DA & honorarium for practical examination shall be same as applicable under existing University norms.
3- Online cell may CE prepare/contact the existing vendor to handle conduction of written MCQ papers under the given time table released by MDSU. They will take care that the questions are given in random order across each of the candidate (so as to avoid any mal practice/unfairmeans using e-media), during the exam hour.

---------x----------